न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
पत्रावली संख्या : 09/22 (अपील)
GCMS No. : 2022/432

अनवान्

1. श्री माना पिता दोला डांगी निवासी विकरणी तहसील मावली।

.............अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती नारायणीबाई पत्नी मांगीलाल भील निवासी नेता का गुडा तहसील नाथद्वारा।
2. श्री प्रकाश पिता मांगीलाल भील नाबालिग बविलायत माता नारायणीबाई पत्नी मांगीलाल भील निवासी नेता का गुडा तहसील नाथद्वारा।
3. तुलसी पिता मांगीलाल भील नाबालिग बविलायत माता नारायणीबाई पत्नी मांगीलाल भील निवासी नेता का गुडा तहसील नाथद्वारा।
4. श्री हरीश पिता मांगीलाल भील नाबालिग बविलायत माता नारायणीबाई पत्नी मांगीलाल भील निवासी नेता का गुडा तहसील नाथद्वारा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

......................रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलाण्ट।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. विजनवास, बाबत ना. सं. 610 दि. 04.02.2021

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 13.02.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत विजनवास बाबत् नामान्तरण संख्या 610 दिनांक 04.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि मौजा विकरणी की आराजी नम्बर 1364 बडा रकबा है, जिसके 3 बीघा भूमि पर अपीलाण्ट का 42 वर्षों से लगातार कब्जा चला आ रहा है, अपीलाण्ट ने इसके चारो तरफ पत्थर की कोट बना रखा है व लोहे की गेट लगा रखी है तथा इस भूमि पर काफी खर्चा कर आवादान की है व अपीलाण्ट ने इसमें पक्का मकान बनाया है, जिसमें घास भरते है तथा छान्न बना रखा है, जिसमें मवेशी बांधते है व निवास करते है व इस आराजी की सिंचाई हेतु अपीलाण्ट ने ट्यूबवेल भी खुदवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:08 IST
Reason: SelfAttested

रखी है, जिससे फसलो की पिलाई करता हैं। अपीलाण्ट के कब्जे की भूमि के पडौस निम्न है :— पूर्व — रास्ता, पश्चिम — दिपा जी का मकान, उत्तर — तुलसीराम जी मेनारिया का मकान, दक्षिण — तलाई

2. निवेदन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्व धारा 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत् कब्जे के सम्बन्ध में नोटिस दिये गये है व अपीलाण्ट ने पेनल्टी जमा कराई है, अपीलाण्ट का कब्जा खसरा गिरदावरी में दर्ज है तथा मांगीलाल भील के बयान न्यायालय में हुऐ, जिसमें भी कब्जा अपीलाण्ट का होना स्वीकार किया है, मौके के फोटो भी प्रस्तुत है, इन सब से विवादित भूमि पर कब्जा अपीलाण्ट का साबित हैं। आराजी नम्बर 1364 में से 5 बीघा भूमि मोडा जी भील का आंवटन हुई, लेकिन उनका कब्जा कभी नहीं रहा, जिसको निरस्त कराने हेतु अपीलाण्ट ने जिला कलेक्टर, उदयपुर के यहां कार्यवाही की व जिला कलेक्टर उदयपुर के आदेश तारीख 27.11. 2019 के विरूद्व न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर में अपील प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर 02/20 अपील हैं। उक्त प्रकरण के विचाराधीन होते हुए आवंटी मोडा व उसके वारिसान का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है तथा नक्शा ट्रेस में भी इस आंवटित भूमि को नहीं दर्शाया गया है, फिर भी इस भूमि को मोडा के वारिसान द्वारा लखमीचन्द को विक्रय कर दी व लखमीचन्द जब कब्जा नहीं कर पाया तो लखमीचन्द ने मांगीलाल को विक्रय कर दी, मांगीलाल ने कब्जा करने के लिए पुलिस कार्यवाही कर अनुसुचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के जुर्म का प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें मांगीलाल के बयान हुए, जिसमें भी मांगीलाल ने यह स्पष्ट बयान दिये है कि मांगीलाल द्वारा जो जमीन खरीदी है, उस पर डांगीयों का कब्जा है, कब्जा दिलाने हेतु प्रकरण दर्ज करवाया है व डांगी कब्जा नहीं दे रहे है इस जमीन में डांगीयों ने मकान बना रखा है आदि। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर जांच किये बिना व वास्तविकता का पता लगाये बिना कथित नामान्तरकरण नम्बर स्वीकृत किया है जो बिना अधिकार के हैं।

3. यह कि उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही बिना किसी जांच के की गई है जबकि अपीलाण्ट की ओर से तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत को नोटिस दे रखे है कि विवादित भूमि पर कब्जा अपीलाण्ट का है व अपीलाण्ट के विरूद्व नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जा र[illegible] वारिसान का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन इस पर घोर कि[illegible] गया है, जो निरस्त किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh
Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:08 IST
Reason: SelfAttested

योग्य हैं। विवादित भूमि के सम्बन्ध में मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश भी जारी था, जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई घोर नहीं किया है व अपने अधिकारों के परे जाकर कथित आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कोई कब्जा नहीं है न रेस्पोडेण्टस का कोई हक व अधिकार हैं। विवादित भूमि पर अपीलाण्ट लम्बे समय से काबिज चला आ रहा है तथा कथित आंवटन की कार्यवाही को निरस्त करवाने के दौरान विक्रय हस्तान्तरण हुआ है, जो कानूनी प्रावधान के विपरित है व ऐसे विक्रय पत्र कानूनन शून्य है व खरीददार को किसी भी तरह के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी है न अपीलाण्ट को सुना है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्व हैं। विवादित भूमि की जमाबन्दी की नकल लेने हेतु अपीलाण्ट तारीख 19.09.2022 पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी ने बताया कि विवादित भूमि रेस्पोडेण्ट्स के नाम दर्ज है जिस पर अपीलाण्ट ने तारीख 19.09.22022 को कथित नामान्तरकरण की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की तत्पश्चात् अधिवक्ता मुक्करर कर अपील तैयार करा आज प्रस्तुत की जा रही है, जो जानकारी से अन्दर मयाद है।

4. अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा इस अपील का खर्चा रेस्पोडेण्ट्स से अपीलाण्ट को दिलाया जावें।

5. धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का कथित आदेश अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये बिना सुने पारित किया है। विवादित भूमि की जमाबन्दी की नकल लेने हेतु अपीलाण्ट तारीख 19.09.2022 को पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी ने बताया कि विवादित भूमि रेस्पोडेण्ट्स के नाम दर्ज है, जिस पर अपीलाण्ट ने तारीख 19.09.2022 को कथित नामान्तरकरण की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की तत्पश्चात् अधिवक्ता मुक्करर कर अपील तैयार करा आज प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मयाद है। अन्त में निवेदन किया कि देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाया जावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर [illegible] जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 4 [illegible] रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirwi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:08 IST
Reason: SelfAttested

एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील अन्दर मयाद पेश की गई। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलाण्टस को सुने बिना विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अन्दर अविध शुमार करते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाया जावें।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत विजनवास द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 610 दिनांक 04.02.2021 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विरासत के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। जहॉ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट् को सुना गया है और न हीं सूचना दी गई है। इस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं था। अपीलाण्ट्स का यह कथन माने जाने योग्य है। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील ग्राम पंचायत विजनवास द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 610 दिनांक 04.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण खातेदार मांगीलाल पुत्र खुमा की मृत्यु होने के कारण विरासत के आधार पर पारित किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि मोडा भील को आवंटन हुई थी। मोडा के वारिसान द्वारा लखमीचन्द को विक्रय कर दी व लखमीचन्द द्वारा मांगीलाल को विक्रय कर दी गई। जबकि नामान्तरकरण में वर्णित भूमि पर इनका कब्जा कभी नही रहा है। आवंटन निरस्त करवाने हेतु अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर के यहां की गई। उसके पश्चात श्रीमान जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के आदेश दिनांक 27.11.2019 की अपील श्रीमा[illegible] महोदय उदयपुर के यहां प्रस्तुत कर रखी है। न्यायालय का [illegible] स्वयं स्वीकार कर रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:08 IST
Reason: SelfAttested

कि उक्त भूमि मोडा भील के नाम दर्ज हुई। मोडा भील के वारिसान द्वारा लखमीचन्द को विक्रय किया गया। लखमीचन्द द्वारा मांगीलाल को विक्रय किया गया। इस प्रकार मांगीलाल के मृत्यु से पूर्व भी उक्त भूमि में नामान्तरकरण पारित किये गये थें जिसके संबंध में अपीलाण्ट द्वारा क्या कार्यवाही की गई। इस संबंध में कोई उल्लेख नही किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार मांगीलाल की मृत्यु हो जाने से विरासत का उक्त नामान्तरकरण पारित करते हुए उसके वारिसान का नाम अंकित किया गया है। विरासत के नामान्तरकरण में कब्जे की जांच करने का कोई औचित्य नही है। इस प्रकार ग्राम पंचायत विजनवास द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नही की है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:08 IST
Reason: SelfAttested